उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 43/2014

उदय कृष्ण सिंह बनाम् राज्य

[illegible]श की क्रम संख्या [illegible]र तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
28-03-2018	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद सं0– 06/2013–14 में दिनांक 03.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया गया है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आवेदक द्वारा दायर रिवीजन आवेदन तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् वाद में मौजा कुजू, थाना माण्डू, थाना नं0– 154 अंतर्गत खाता नं0– 02 प्लॉट नं0– 1843 गैरजरूआ खास खाते की भूमि है तथा सर्वे खतियान में जमीन का किस्म जंगल दर्ज है। उक्त परिपेक्ष्य में निम्न न्यायालय में पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नही है। आवेदक द्वारा दायर रिविजन आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः रिविजन आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 28/3/18 **उपायुक्त,** रामगढ़। 28/3/18 **उपायुक्त,** रामगढ़।	